सं० ओ० वि०/अम्बाला/175-85/8910.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० आरकयन इंजीनियरिंग कम्पनी, 72, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पंचकूला (अम्बाला), के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक प्राधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामलें हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामलें हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

(1) क्या संस्था के श्रमिक हीट अलांउस लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

(2) क्या संस्था के श्रमिक वर्ष 1983-84 का बोनस 20 प्रतिशत की दर से लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

(3) क्या संस्था के श्रमिक पहचान-पत्र व हाजरी-पत्र लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

(4) क्या श्रमिक दो जोड़ी वर्दी लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

कुलवन्त सिंह,

वित्तयुक्त एवं सचिव ।

दिनांक 6 मार्च, 1986

सं० ओ० वि०/अम्बाला/8-86/8734.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) मैनेजिंग डायरैक्टर, दी अम्बाला सैण्ट्रल को-ओप्रेटिव बैंक लि०, अम्बाला शहर, (2) मैनेजर, दी अकबरपुर को-ओप्रेटिव एण्ड सर्विस सोसाइटी लि०, अकबरपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री तरसेम लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री तरसेम लाल, पुत्र श्री देस राज, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 7 मार्च, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/6-86/8778.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० कण्टीनेंटल कन्सट्रकशन लि०, सैण्ट्रल स्टोरज एण्ड वर्कशाप, 14/2, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सूर्यभान सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री सूर्यभान सिंह, पुत्र श्री राम अधेर, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?